रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082026-275237
CG-DL-E-06082026-275237

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4157] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2026/श्रावण 14, 1948
No. 4157] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2026/SHRAVAN 14, 1948

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

**का.आ. 4333(अ).—** भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में प्रयोग्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम,1962(1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा(1)के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या **का.आ.1475(अ),** तारीख 19.03.2026, जो भारत के राजपत्र तारीख 20.03.2026 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंन्ध्रप्रदेश राज्य में राज्य में **"एम एस ए इ to एम एस एन ए ए"** तक प्राकृतिक गैस।

परिवहन के लिये **ओ.एन.जी.सी.लिमिटेड** द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी। और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 22.04.2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधन हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेषन के विरूद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

**अनुसूची**

**आर.ओ.यु.पाइपलाईन : "एम एस ए इ to एम एस एन ए ए".**

| मंडल: क्रम संख्या | गाँव: गाँव का नाम | ज़िला :कृष्णा | राज्य :आंन्ध्र प्रदेश | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सर्वे नम्बर | क्षेत्रफल | | |
| | | | हेक्टेयर | एरिया | प्रति वर्गमीटर |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| बंटुमिल्ली | मूलपररु | 503/3,4 | 0 | 13 | 0 |
| | | 515 | 0 | 04 | 0 |
| | | 524 | 0 | 01 | 0 |
| | | 516/1,2 | 0 | 06 | 0 |
| | | 518/A1F,A2 | 0 | 20 | 0 |
| | | 519/1B,1C,2 | 0 | 17 | 0 |
| | | 520/2 | 0 | 06 | 0 |
| | | 543 | 0 | 25 | 0 |
| | | 547 | 0 | 03 | 0 |
| | | 542 | 0 | 10 | 0 |
| | | 548 | 0 | 05 | 0 |
| | | 539/5 | 0 | 09 | 0 |
| **योग** | | | **1** | **19** | **0** |
| बंटुमिल्ली | पेंदुररु | 1/1A,1B,1C,2 | 0 | 16 | 0 |
| | | 8/1A,1B,2,2B | 0 | 44 | 0 |
| | | 9/1A,1B,2A,2B,3,4,5A,5B | 0 | 20 | 0 |
| | | 10 | 0 | 02 | 0 |
| | | 17/1,2 | 0 | 12 | 0 |
| **योग** | | | **0** | **94** | **0** |
| **कुल योग** | | | **2** | **13** | **0** |

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/14/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-52753)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2026

**S.O. 4333(E).—** Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas **S.O. 1475(E), dated.19.03.2026** issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Acts, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated **20.03.2026** the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through MSAE TO MSNAA in the State of Andhra Pradesh by ONGC Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to **22.04.2026**.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User there in:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 6 of said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the ONGC Limited, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act,1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

**SCHEDULE**

**ROU PIPELINE FROM "MSAE TO MSNAA/NEW ROU/2025-2026".**

| **Name of the Mandal** | **Name of the Village** | **District : Krishna** | **State: Andhra Pradesh** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Survey Number** | **Area** | | |
| | | | **Hectare** | **Are** | **Sq.mtr.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bantumilli** | **Mulaparru** | 503/3,4 | 0 | 13 | 0 |
| | | 515 | 0 | 04 | 0 |
| | | 524 | 0 | 01 | 0 |
| | | 516/1,2 | 0 | 06 | 0 |
| | | 518/A1F,A2 | 0 | 20 | 0 |
| | | 519/1B,1C,2 | 0 | 17 | 0 |
| | | 520/2 | 0 | 06 | 0 |
| | | 543 | 0 | 25 | 0 |
| | | 547 | 0 | 03 | 0 |
| | | 542 | 0 | 10 | 0 |
| | | 548 | 0 | 05 | 0 |
| | | 539/5 | 0 | 09 | 0 |
| **TOTAL** | | | **1** | **19** | **0** |
| **Bantumilli** | **Pendurru** | 1/1A,1B,1C,2 | 0 | 16 | 0 |
| | | 8/1A,1B,2,2B | 0 | 44 | 0 |
| | | 9/1A,1B,2A,2B,3,4,5A,5B | 0 | 20 | 0 |
| | | 10 | 0 | 02 | 0 |
| | | 17/1,2 | 0 | 12 | 0 |
| **TOTAL** | | | **0** | **94** | **0** |
| **GRAND TOTAL** | | | **2** | **13** | **0** |

[F. No. Expl-13011(26)/14/2025-EXPL-PNG (E-52753)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA